

उत्तराखण्ड शासन,
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग
संख्या 1044 /XXXvi (3)/2007
दिनांक: देहरादून 10 अप्रैल, 2007

अधिसूचना

उत्तराखण्ड के राज्यपाल की यह राय है कि उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है,

अतः उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत उनको प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मि० कारेन हिल्टन, शलोम हास्टल, द्वारा लिटिल विनर्स स्कूल, वेस्ट केनाल रोड, माजरा, पो. देहरादून को उत्तराखण्ड विधान सभा में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव।

संख्या 1044 (1)/XXXvi (2)/2007/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल।
- 2- निजी सचिव, मा० विधान सभा अध्यक्ष।
- 3- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
- 5- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
- 6- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित 100 प्रतियां प्रकाशनार्थ एवं शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 7- नाम निर्दिष्ट मा० सदस्य।
- 8- कार्यालय पंजी।

आज्ञा से,
10.4.07
(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव